

The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015

**(As introduced in the Legislative Assembly of the
National Capital Territory of Delhi on 24th March, 2015)**



L.R. GARG
Secretary
Delhi Legislative Assembly
OLD Sectt. Delhi-110054

THE DELHI APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2015

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2015-16.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 2015.

issue of

Rs.9437,50,00,000/-from
and out of the
Consolidated Fund of the
National Capital Territory
of Delhi for the financial
year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees Nine thousand four hundred thirty seven crore fifty lac only to wards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING				
Demand No.	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislature	Revenue 43000	1900	44900
2	General Administration	Revenue 375375	30425	405800
3	Administrative of Justice	Revenue 1565362 Capital 2500	480238 00	2045600 2500
4	Finance	Revenue 610003 Capital 32125	12 00	610015 32125
5	Home	Revenue 1140050 Capital 60075	1250 00	1141300 60075
6	Education	Revenue 15123012 Capital 429600	763 00	15123775 429600
7	Medical and Public Health	Revenue 9642580 Capital 373458	2362 00	9644942 373458
8	Social Welfare	Revenue 8823425 Capital 3548000	00 0	8823425 3548000
9	Industries	Revenue 606785 Capital 90675	125 00	606910 90675
10	Development	Revenue 4713915 Capital 759950	835 75	4714750 760925
11	Urban Development and Public Works	Revenue 21307775 Capital 11809500	150 00	21307925 11809500
PD	Public Debt.	Revenue 00 Capital 00	8068000 4412950	8068000 4412950
12	Loans	Capital 6250	00	6250
13	Pension	Revenue 312500	00	312500
Total		81375915	12999085	94375000



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub section (I) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the additional expenditure charged on the Consolidated Fund and the supplementary grants made by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

(Manish Sisodia)
Finance Minister/Dy. Chief Minister

Delhi,
March 24, 2015



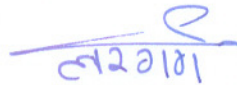
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.



दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा
में दिनांक 24 मार्च, 2015 को पुरःस्थापित किया गया)


एल. आर. गर्ग
सचिव
दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015

वर्ष 2015-2016 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक।

9437,50,00,000 / -
रुपयों का वर्ष
2015-2016 में राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली की
संचित निधि में से प्रदत्त
और प्रयुक्त।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ हजार चार सौ सैंतीस करोड पचास लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015-2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
1	विधानमंडल	राजस्व 43000	1900	44900
2	साधारण प्रशासन	राजस्व 375375	30425	405800
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 1565362 पूंजी 2500	480238 00	2045600 2500
4	वित्त	राजस्व 610003 पूंजी 32125	12 00	610015 32125
5	गृह	राजस्व 1140050 पूंजी 60075	1250 00	1141300 60075
6	शिक्षा	राजस्व 15123012 पूंजी 429600	763 00	15123775 429600
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व 9642580 पूंजी 373458	2362 00	9644942 373458
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व 8823425 पूंजी 3548000	00 00	8823425 3548000
9	उद्योग	राजस्व 606785 पूंजी 90675	125 00	606910 90675
10	विकास	राजस्व 4713915 पूंजी 759950	835 75	4714750 760025
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व 21307775 पूंजी 11809500	150 00	21307925 11809500
	लोक ऋण	राजस्व 00 पूंजी 00	8068000 4412950	8068000 4412950
12	ऋण	पूंजी 6250	00	6250
13	पेंशन	राजस्व 312500	00	312500
योग		81375915	12999085	94375000



उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30(1)(क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व्यय का वहन करने के लिए आवश्यक घनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(मनीष सिसोदिया)
वित्तमंत्री/उप-मुख्य मंत्री

दिल्ली, 24 मार्च, 2015



विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

